कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित — **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**

प्रार्थी — **सर्वश्री प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम, 560, सिविल लाइन, गोण्डा ।**

प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक — **047 / 09, 01.05.2009**

प्रार्थी की ओर से — **श्री राजेश कुमार पासी, सहायक लेखाकार ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम, 560, सिविल लाइन, गोण्डा द्वारा दिनांक 01.05.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' नीलामी के माध्यम से प्रान्त बाहर के व्यापारियों द्वारा क्रय किये गये प्रकाष्ठ '' पर फार्म-सी के विरूद्ध केन्द्रीय बिक्रीकर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है । उनके द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि क्रेता मेसर्स राजधानी क्राफ्ट जयपुर राजस्थान द्वारा टिम्बर की बिक्री पर फार्म-C प्रस्तुत करने पर 2% की दर से कर वसूली हेतु अनुरोध किया है । अत: यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री राजेश कुमार पासी, सहायक लेखाकार उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, फैजाबाद जोन, फैजाबाद द्वारा पत्र संख्या-2403, दिनांक 15.03.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वन निगम लकड़ी की नीलामी के माध्यम से बिक्री करता है । नीलामी की शर्त में '' नीलाम में भाग लेने हेतु सम्भावित क्रेता '' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है । प्रान्त बाहर अथवा प्रान्त अन्दर शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है । प्रश्नगत मामले में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 लागू होने के बाद प्रथम बार सेल इनवायस नम्बर-56, दिनांक 15.01.2014 द्वारा प्रान्त बाहर के क्रेता हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड को बिक्री दर्शायी गयी है । इस इनवायस में लकड़ी की कीमत के अतिरिक्त, सी0 एस0 टी0 2%, मण्डी कर 2.5%, ट्रांजिट राशि, भाड़ा लो0 / अन0 चार्ज रु0 1700.00 प्रति घनमीटर अलग से चार्ज किये गये हैं । उत्तर प्रदेश वन निगम कार्यालय-महा प्रबन्धक (विपणन) लखनऊ द्वारा एक पत्र महा प्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, फारेस्ट काम्प्लेक्स, सोहना रोड, गुड़गॉव-122001 (हरियाणा) को सम्बोधित प्रस्तुत किया है जिसमें निम्नलिखित तथ्य अंकित किये गये हैं :-

01- कर / शुल्क आदि नियमानुसार अलग से देय होगा जो प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, गोण्डा द्वारा अवगत कराया जायेगा ।

02- वीरपुर डिपो से एफ0 ओ0 आर0, गुड़गॉव आपूर्ति के लिए लोडिंग एवं ढुलान हेतु रु0 1700.00 प्रति घनमीटर अतिरिक्त रूप से लिया जायेगा ।

पत्र के अन्त में लिखा गया है '' कृपया अपनी आवश्यकता हेतु प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश, वन निगम, गोण्डा को आपूर्ति आदेश प्रेषित करते हुए अपने प्रतिनिधि को नामित करें जो डिपो से प्रकाष्ठ प्राप्त कर ढुलान वाहन के साथ रहे तथा प्रकाष्ठ को सुरक्षित ले जाये । ''

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त रूप से भाड़ा चार्ज कर लेने पर एफ0 ओ0 आर0

....2

आपूर्ति का स्वरूप समाप्त हो जाता है तथा यह भी स्पष्ट होता है कि प्रान्त बाहर का नामित व्यक्ति डिपो से प्रकाष्ठ को प्राप्त करने के पश्चात गन्तव्य तक माल के साथ रहता है अर्थात माल की डिलेवरी डिपो से निकलने के पूर्व ही प्राप्त कर ली जाती है जो किसी भी दशा में केन्द्रीय बिक्री की प्रकृति में नहीं आता है तथा प्रान्त बाहर के व्यापारी को स्थानीय बिक्री (local sale) होती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, जोन फैजाबाद द्वारा जिस संव्यवहार के सम्बन्ध में आख्या दी गयी है, प्रार्थी का प्रश्न उस संव्यवहार से सम्बन्धित नहीं है। नीलामी की जो शर्तें प्रस्तुत की गयी हैं उनके अनुसार वन निगम, गोण्डा द्वारा प्रकाष्ठ के लाट की खुली नीलामी की जाती है। इस नीलामी में सम्पूर्ण भारतवर्ष के क्रेता भाग ले सकते हैं। नीलामी के आधार पर वन निगम द्वारा समस्त विक्रय मूल्य प्राप्त होने के पश्चात क्रेता को डिपो पर ही प्रकाष्ठ की डिलेवरी दे दी जाती है। यह प्रक्रिया प्रान्त अन्दर एवं प्रान्त बाहर दोनों प्रकार के क्रेताओं के लिए अपनायी जाती है। डिलेवरी देने के उपरान्त संव्यवहार पूर्ण जो जाता है। इसमें क्रेता से कोई पूर्व अनुबन्ध नहीं होता है एवं क्रेता माल की डिलेवरी लेने के बाद उसकी बिक्री कहीं भी करने के लिए स्वतन्त्र होता है। माल को प्रान्त बाहर ले जाने की कोई बाध्यता नहीं होती है। इस प्रकार माल का प्रान्त बाहर movement विक्रय के अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं होता है। अत: उ0 प्र0 वन निगम, गोण्डा द्वारा पूछे गये संव्यवहार में नीलामी के फलस्वरूप प्रान्त बाहर के व्यापारी को की गयी बिक्री केन्द्रीय बिक्री नहीं होगी अपितु इस प्रकार की बिक्री प्रान्त बाहर के व्यापारी को स्थानीय बिक्री मानी जायेगी तथा इस प्रकाष्ठ की प्रान्तीय बिक्री पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, फैजाबाद जोन, फैजाबाद द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया। पाया गया कि संव्यवहार की प्रकृति को देखते हुए उ0 प्र0 वन निगम, गोण्डा द्वारा प्रान्त अन्दर नीलामी करके की गयी बिक्री स्थानीय बिक्री होगी। केवल प्रान्त बाहर के क्रेता को बिक्री करने के आधार पर इसे केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री नहीं मानी जायेगी। अत: इसके सम्बन्ध में फार्म-सी प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रान्त बाहर के व्यापारी को वन निगम द्वारा की गयी उक्त बिक्री को प्रकाष्ठ की स्थानीय बिक्री मानते हुए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 23 अप्रैल, 2014

ह0 / 23.04.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।